रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 1, 2018/माघ 12, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 429

No. 27] DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 1, 2018/MAGHA 12, 1939 [N.C.T.D. No. 429

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह पुलिस–1 शाखा, गृह विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 29 जनवरी, 2018

सं. फा. 28/1/2017/गृह पुलिस–1/स्थापना/पार्ट फा./635–641.—दिनांक 22 सितम्बर, 2006 की रिट याचिका (सी) सं. 310/1996 (प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 05 अक्तूबर, 2015 के पत्र संख्या 14040/108/2015–यूटीपी तथा दिनांक 26 सितम्बर, 2017 के पत्र संख्या 14040/108/2015–यूटीपी के अनुसार जारी निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतदद्वारा उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार दिल्ली पुलिस से संबंधित शिकायतों पर कार्यवाही के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन करते हैं :–

2. संरचना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की पुलिस शिकायत प्राधिकरण का एक अध्यक्ष तथा तीन सदस्य होगें। तीन सदस्यों में एक महिला सदस्य होगी। अध्यक्ष का चयन नीचे उल्लिखित श्रेणी (क) में से किया जायेगा तथा श्रेणी (ख) से (घ) प्रत्येक में से एक–एक सदस्य का चयन किया जाएगा :

(क) उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश;

(ख) समाज से प्रसिद्ध एवं ख्याति प्राप्त व्यक्ति;

(ग) दिल्ली सरकार में न्यूनतम सचिव पद के वेतनमान वाले सेवानिवृत्त लोक सेवक जिसका अनुभव लोक प्रशासन में हो; तथा

(घ) पुलिस के संयुक्त आयुक्त/महानिरीक्षक के वेतनमान या समकक्ष रैंक का एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी।

यदि महिला को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तो महिला का सदस्य के रूप में होना अनिवार्य नहीं है।

3. नियुक्ति, हटाने तथा नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें:–

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों के नियुक्ति प्राधिकारी होंगे।

(2)(क) प्राधिकरण के अध्यक्ष का चयन दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित नामों के पैनल से किया जायेगा।

(ख) प्राधिकरण के सदस्यों का चयन लोकायुक्त तथा अध्यक्ष, जन शिकायत आयोग के परामर्श के पश्चात् मुख्य सचिव द्वारा तैयार पैनल से किया जायेगा।

(3) अध्यक्ष तथा प्राधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी लेकिन अध्यक्ष तीन साल के कार्यकाल को पूर्ण करने के लिये 65 वर्ष से अधिक, यदि आवश्यक है, जारी रख सकते हैं, इसमें उपराज्यपाल का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(4) पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों का पारिश्रमिक एवं भत्ते समय–समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित रूप में होंगे।

(5) पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों को उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा निम्नलिखित किन्हीं कारणों से सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् हटाया जा सकता है:

(क) कदाचार या दुर्व्यवहार की पुष्टि होना;

(ख) लगातार कर्त्तव्य निवर्हन की अवहेलना करना;

(ग) ऐसी स्थिति उत्पन्न होना जिससे वह नियुक्ति के उपयुक्त नहीं रह जायेगा;

(घ) कार्यकाल के दौरान अपने पद की ड्यूटी से बाहर किसी आय प्राप्ति के रोजगार में संलग्न होना।

(6) पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष तथा सदस्य प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य होंगे तथा लाभ की किसी अन्य गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

4. भूमिका और कार्य :–

पुलिस शिकायत प्राधिकरण की भूमिका एवं कार्य निम्न प्रकार होंगे :–

(1) प्राधिकरण पुलिस कर्मियों के विरूद्ध नीचे बताये गये रूप में ''गंभीर कदाचार'' के आरोप में जांच करेगा या निम्नलिखित में से किसी से प्राप्त शिकायत पर स्वतः कार्यवाही करेगाः–

(क) कोई पीड़ित या उसकी तरफ से शपथ पत्र के माध्यम से कोई अन्य व्यक्ति;

(ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग; या

(ग) दिल्ली के उपराज्यपाल या मुख्य सचिव या प्रधान सचिव (गृह)।

स्पष्टीकरण : ''गंभीर कदाचार'' का इस अध्याय के उद्देश्य से अर्थ होगा किसी पुलिस अधिकारी के कार्य या त्रुटि का कोई कार्य, जिसका परिणाम निम्नलिखित रूप में होगा :–

(क) पुलिस हिरासत में मौत;

(ख) पुलिस हिरासत में गंभीर चोट;

(ग) बलात्कार या पुलिस हिरासत में बलात्कार का प्रयास;

(घ) कानून की अपेक्षित प्रक्रिया के बिना गिरफ्तारी या हिरासत में रखना; या

(ङ) फिरौती या भूमि/घर पर कब्जा करना या प्राधिकार के गंभीर दुरूपयोग संबंधी कोई अन्य घटना।

प्रावधान है कि किसी अज्ञात तथा छदमनाम शिकायत पर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(2) उपराज्यपाल या मुख्य सचिव या प्रधान सचिव (गृह), उक्त श्रेणी (1) के अन्तर्गत न आने वाली किसी भी शिकायत को दिल्ली सरकार पुलिस शिकायत प्राधिकरण को भेज सकते हैं।

(3) पुलिस शिकायत प्राधिरण सामान्यतः उन मामलों पर कार्यवाही नहीं करेगा जो किसी न्यायालय या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य सांविधिक निकाय के सामने विचाराधीन है।

(4) दिल्ली पुलिस संबंधी शिकायतों के मामले पुलिस शिकायत प्राधिकरण देखेगा न की जन शिकायत आयोग। तद्नुसार दिल्ली पुलिस के जन शिकायत आयोग के पास दिल्ली पुलिस के सभी लंबित मामले पुलिस शिकायत प्राधिकरण को हस्तांतरित किये जायेंगे।

5. **पुलिस शिकायत प्राधिकरण की शक्तियां निम्न प्रकार होंगी:–**

(1) प्राधिकरण किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को किसी ऐसे बिन्दु या मामले में ऐसी सूचना प्रदान करने के लिये कह सकता है जो प्राधिकरण की राय में शिकायत की विषयवस्तु के लिये उपयोगी या प्रासंगिक होगा;

(2) प्राधिकरण अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले दिल्ली पुलिस को अपना दृष्टिकोण तथा अतिरिक्त तथ्य यदि कोई है और प्राधिकरण के जानकारी में पहले नहीं है पर पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा। प्राधिकरण दिल्ली पुलिस से ऐसी सूचना जो मामले पर प्रभाव डालती है ऐसी अतिरिक्त सूचना प्राप्त होने पर अपने निष्कर्ष की समीक्षा कर सकती है;

(3) जांच पूरा होने पर प्राधिकरण अपने निष्कर्ष/सिफारिश मुख्य सचिव, दिल्ली को सूचित करेगा;

(4) प्राधिकरण अपने निष्कर्ष और सिफारिशें शिकायत की प्राप्ति की तिथि से साठ दिनों के भीतर की अवधि में प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा;

(5) प्राधिकरण, दिल्ली के उपराज्यपाल को प्राधिकरण के पास साठ दिन से अधिक लम्बित मामलों के बारे में विनिर्दिष्ट करते हुए अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

6. पुलिस शिकायत प्राधिकरण की सिफारिशें सामान्य रूप से बाध्यकारी होंगी जब तक उपराज्यपाल लिखित कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए प्राधिकरण के निर्णय से असहमत न हो।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अजय गर्ग, विशेष सचिव (गृह)

HOME POLICE-I BRANCH, HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 29th January, 2018

F. No. 28/1/2017/HP-I/Estt./Part file-635-641.—In compliance with the directions passed by the Hon'ble Supreme Court in WP (C) No. 310/1996 (Prakash Singh & Ors-Vs-Union of India & Ors) dated 22nd September 2006 and directions issued by Government of India, Ministry of Home Affairs, *vide* letter No. 14040/108/2015-UTP dated 05th October 2015 and letter No. 14040/108/2015-UTP dated 26th September 2017, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to constitute the Police Complaint Authority for National Capital Territory of Delhi to deal with complaints relating to Delhi Police as directed by the Hon'ble Supreme Court in the said case, the terms and conditions for Police Complaint Authority for National Capital Territory of Delhi will be as under:

2. **Composition** :

The Police Complaint Authority of National Capital Territory of Delhi shall be headed by the Chairman/Chairperson with three Members. One of the three Members must be a woman. The Chairman/Chairperson will be selected from below mentioned category (a) and one Member each from the categories (b) to (d) will be selected:

(a) A retired High Court Judge;

(b) A person of repute and stature from civil society;

(c) A retired civil servant of minimum of scale of Secretary to GNCT of Delhi with experience in Public Administration; and

(d) A retired Police officer of minimum of scale of Joint Commissioner/Inspector-General of Police or corresponding rank.

In case a woman is appointed as Chairman/ Chairperson, then it shall not be mandatory to have a woman Member.

3. **Appointment, Removal and terms & conditions of appointment:**

(i) Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi shall be the Appointing Authority of the Chairman/Chairperson and Members of the Police Complaint Authority.

(ii) (a) The Chairman/Chairperson of the Authority shall be selected out of a panel of names proposed by Chief Justice , High Court of Delhi.

(b) The members of the Authority shall be selected out of the panel prepared by Chief Secretary, Delhi after consultation with Lok Ayukta and Chairman, Public Grievances Commission.

(iii) The term of the Chairman/Chairperson and Members of the Authority shall be three years. The upper age limit for Members shall be 65 years but the Chairman/Chairperson can continue beyond 65 years, if necessary, to complete 03 years tenure, subject to the approval of Lieutenant Governor.

(iv) The remuneration & perks of the Chairman/Chairperson and the Members of the Police Complaints Authority will be as notified by the Government from time to time.

(v) The Chairman/Chairperson or Member of the Police Complaints Authority may be removed by the Lieutenant-Governor, National Capital Territory of Delhi after giving him/her an opportunity to be heard, on any of the following grounds:

a) Proven misconduct or misbehaviour;

b) Persistent neglect to perform duties;

c) Occurrence of any situation that would make him/her not suitable for appointment; or

d) Engaging during term of office in any paid employment outside the duties of office.

(vi) The Chairman/Chairperson and the members of the Police Complaints Authority shall be whole time members of the Authority and will not engage in any other remunerative activities.

4. **Role and functions**

The role and functions of the Police Complaints Authority will be as under:

(i) The Authority shall inquire into allegations of "serious misconduct" against police personnel, as detailed below, either *suo motu* or on a complaint received from any of the following:-

a) a victim or any person on his/her behalf on a sworn affidavit ;

b) the National Human Rights Commission; or

c) Lieutenant-Governor or Chief Secretary or Principal Secretary(Home), GNCT of Delhi.

Explanation: "Serious misconduct" for the purpose of this chapter shall mean any act of commission or omission of a police officer that leads to or amounts to:

a) death in police custody;

b) grievous hurt in police custody;

c) rape or attempt to rape in police custody;

d) arrest or detention without due process of law; or

e) Extortion or land/house grabbing or any other incident involving serious abuse of authority.

Provided that no anonymous and pseudonymous complaints shall be entertained.

(ii) Any complaint not covered in category (i) above, may also be referred to Police Complaint Authority by Lieutenant-Governor or Chief Secretary or Principal Secretary (Home), GNCT of Delhi.

(iii) The Police Complaint Authority may not entertain those cases which are under consideration before any Court or the National Human Rights Commission or any other statutory body.

(iv) Cases of complaints regarding Delhi Police will be looked into by Police Complaint Authority and not by Public Grievances Commission. Accordingly the cases relating to Delhi Police pending with Public Grievances Commission shall be transferred to Police Complaint Authority.

5. The power of the Police Complaints Authority will be as under:

(i) The Authority may require any person or authority to furnish information on such points or matters as in the opinion of the Authority may be useful for or relevant to the subject matter of the complaint;

(ii) The Authority, before finalising their report, shall afford the Delhi Police an adequate opportunity to present their view and additional facts, if any, not already in the notice of the Authority. The Authority may review their findings on receipt of additional information from Delhi Police that may have a material bearing on the case.

(iii) Upon completion of the inquiry, the Authority shall communicate their findings/recommendations to Chief Secretary, Delhi.

(iv) The Authority will endeavour to submit their findings and recommendation within a period of sixty days from the date of receipt of the complaint.

(v) The Authority will submit biannual reports to the Lieutenant-Governor, National Capital Territory of Delhi about the cases which are pending before the Authority specifying those cases which are pending for more than 60 days.

6. The recommendation of the Police Complaints Authority shall ordinarily be binding unless for the reasons to be recorded in writing, the Government decides to disagree with findings of the Authority.

By Order and in the Name of the Lieutenant-Governor

of National Capital Territory of Delhi,

AJAY GARG, Spl. Secy. (Home)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.02.07 10:34:34 +05'30'